

राजस्थान सरकार
उपभोक्ता मामले वभाग
प्रेस वज्ञप्ति

मष्ठान वक्रेता मठाइयों का तोल करते समय डब्बे का वजन शा मल नहीं करें शासन स चव

जयपुर, 21 अगस्त। उपभोक्ता मामले वभाग के शासन स चव श्री नवीन जैन ने बताया क रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर मष्ठान वक्रेता उपभोक्ताओं को मठाइयों का तोल करते समय डब्बे का वजन शा मल नहीं करें अन्यथा व धक माप वज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

शासन स चव ने बताया क रक्षा बंधन त्योहार के अवसर पर त्योहार के अवसर पर मठाइयों की बिक्री बढ जाती है ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कया जाना जरूरी होता है इसके लए व धक माप वज्ञान टीम को सतर्क होकर कार्य करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया क रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर कोई भी दुकानदार मठाई के साथ डब्बा तोलता है तो उपभोक्ता उसकी शकायत उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर प्रमाण सहित दर्ज करवा सकते हैं ता क ऐसे दुकानदारों के वरूद्ध कार्रवाई की जा सके।

शासन स चव ने बताया क मठाई के साथ डब्बा तौलने की शकायत मलने पर संबंधत दुकानदार के वरूद्ध व धक माप अधिनियम 2009 के तहत शत प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है क मठाई खरीदते समय डब्बे का वजन अलग से करावे एवं खरीदी गई मठाई का बिल आवश्यक रूप से लेवे।

दो दिवसीय अभयान के तहत 606 दुकानों का कया निरीक्षण

शासन स चव ने बताया क रक्षाबंधन त्योहार को मध्य नजर रखते हुए प्रदेश में व धक माप वज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा दो दिवसीय अभयान के दौरान मठाई बिस्कुट एवं चॉकलेट बेचने वाले 606 दुकानदारों का औचक निरीक्षण कया गया। निरीक्षण के दौरान व धक माप वज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 33 दुकानदारों के वरूद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

__&&&__